

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

भूमेश कुमार पालीवाल

AFFIDAVIT

CX 764858

I, Manju Gupta wife of Shri Vijay Kumar Gupta and Secretary of the  
**Shanti Niketan Charitable Welfare Society** aged about 63 years, resident of  
 2/363A, The Mall Road, Pratap Pura X-ing, Agra-282001, am the authorized  
 signatory of the application made to the Regional Committee of the National

Council For Teacher Education at Jaipur seeking grant of recognition / permission  
 for conducting a course in Teacher Education titled **D.El.Ed. (B.T.C.)** with  
 Additional intake of 2 (Two) unit (50 seat in each units) in I year & same in II  
 year.

2. That the **Swaraj College of Education** Under Control & Managed by  
**Shanti Niketan Charitable Welfare Society** is in possession of land as  
 per the following description:-

2.1 Total Area of the land (in Sqr. Mts.): **3760.00 Sqr. Mts.**

Address :


Plot No : **260 GA (T) & 231**

Khasra No : **260 GA (T) & 231**

Villaga /Town / City : **Tehra, Tehsil - Kheragarh**

District : **Agra**

State : **Uttar Pradesh**



25/11/2015

Bounded by

North: Other land  
South: 20 ft. Wide Road  
East: Other land  
West: Other land

Registered in the office of: Sub-Registrar, Tehsil- Kheragarh, Agra on 22-03-2010 for plot no. 260 GA & on 12-05-2009 for plot no. 231.

3. That the land is on ownership basis.
4. That the land is free from all encumbrances.
5. That the land is exclusively meant for running the educational institution and the permission of the Competent Authority to this effect has been obtained vide letter No. 12/10-11 dated 20-04-2012 and a copy thereof is enclosed.
6. That the said premises shall not be used for running educational activity/institution, other than the teacher education programme for which recognition is being sought.
7. That the copy of the affidavit shall be displayed on the website of the institution for general public.
8. I do hereby swear that my declaration under Para's(1) to (6) are true and correct and that it conceals nothing and that no part of this is false. In case the contents of affidavit are found to be incorrect or false, I shall be liable for action under the relevant provision of the Indian Penal Code and other relevant laws.

802/581

Manju Gupta, Secretary,  
Shanti Niketan Charitable Welfare Society, Agra  
Plot No. 260 GA, NH-3, Agra-Gwalior Road,  
Tehra, Teh.- Kheragarh, Agra


09358506796

drakgupta3674@gmail.com

www.swarajcollegeofeducation.com

Place: Agra

Date: 14-01-2015



ATTESTED  
Pawan Kumar Sharma  
Not. NOTARY, Agra  
(Gazetted Officer) 16

# न्यायालय उपजिलाधिकारी खेरागढ़, जिला आगरा।

दद संख्या 12/10-11

र राज कॉलेज ऑफ एजूकेशन द्वारा श्रीमती मंजू गुप्ता पत्नी बी०क० गुप्ता सचिव शान्ती निकेतन चैरिटे बिल बैल फेयर सोसायटी पंजी० कार्यालय 2/363ए नामनेर आगरा।

बनाम

सरकार

अन्तर्गत धारा 143 ज०वि०अ०

मौजा तेहरा तहसील खेरागढ़

## प्राख्यापन

तहसीलदार खेरागढ़ की आख्या दिनांक 16.04.2012 से सन्तुष्ट होकर मौजा तेहरा तहसील खेरागढ़ जिला आगरा की निम्नांकित भूमि को उ०प्र० ज०वि०अ० एवं भूमि व्यवस्था ३ धेनियम 1951 की धारा 143 सहवादित नियम 135(3) के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि नीचे वर्णित भूमि कृषि, मत्स्य पान, कुकर्कट पालन जिसके अन्तर्गत संवर्धन नहीं, किया जा रहा है और ना ही इस उपयोग में आ रही है।

ग्राम का नाम, तहसील व जिला	भूमिधर का नाम व पता स्वराज कॉलेज ऑफ एजूकेशन द्वारा	भूखण्ड संख्या व क्षेत्रफल	भू-राजस्व
मौजा तेहरा तहसील खेरागढ़ जिला आगरा	श्रीमती मंजू गुप्ता पत्नी बी०क० गुप्ता सचिव शान्ती निकेतन चैरिटे बिल बैल फेयर सोसायटी पंजी० कार्यालय 2/363ए नामनेर आगरा।	खाता संख्या 724 के गाटा संख्या 260ग रकवा 0.2990 हेक्टैयर	8.75 रु०

उपरोक्त भूमि को उक्त व्यक्ति के नाम, अकृषिक भूमि होने के कारण भू-राजस्व से मुक्त किया जाता है।

उपजिलाधिकारी,  
खेरागढ़, आगरा।

प्राख्यापन:

- उपनिवंधक खेरागढ़ को दो प्रतियों में इस आशय से प्रेषित कि इस प्राख्यापन की एक प्रति पृष्ठाकन उपरान्त इस न्यायालय को वापस भेजे।
- तहसीलदार खेरागढ़ को दो प्रतियां अमलदारामद हेतु।

उपजिलाधिकारी,  
खेरागढ़, आगरा।

२०१५।८

मंजू गुप्ता



# न्यायालय उपजिलाधिकारी खेरागढ़, जिला आगरा।

वाद संख्या 12/10-11

स्वराज कॉलेज ऑफ एज्युकेशन द्वारा श्रीमती मंजू गुप्ता पत्नी बी0कके0 गुप्ता सचिव शान्ती निकेतन चैरिटे बिल बैल फेयर सोसायटी पंजी0 कार्यालय 2/363ए नामनेर आगरा।

बनाम

सरकार


अन्तर्गत धारा 143 ज0वि0अ0

मौजा तेहरा तहसील खेरागढ़



निर्णय 12/10/2012

प्रस्तुत वाद श्रीमती मंजू गुप्ता पत्नी बी0कके0 गुप्ता सचिव शान्ती निकेतन चैरिटे बिल बैल फेयर सोसायटी पंजी0 कार्यालय 2/363ए नामनेर आगरा। के प्रार्थना पत्र दिनांक 10-04-2012 पर प्रारम्भ हुयी, आवेदक का कथन है कि वह मौजा तेहरा के खाता संख्या 724 के गाटा संख्या 260ग रकवा 0.2990 हेक्टेयर लगानी 9.05 रुपया की संक्रमणीय भूमिधर काश्तकार मालिक काविज व स्वामिनी हूँ तथा प्रार्थीया की संस्था उपरोक्त भूमि 0.2990 हेक्टेयर पर कॉजेल संचालित है तथा बिल्डिंग बनायी जा रही हैं प्रार्थीया की उक्त संस्था को उक्त भूमि का बिना बजय लगान अदा करना पड़ रहा है इसलिए प्रार्थीया अपनी उपरोक्त भूमि 0.2990 हेक्टेयर लगानी 9.05 रुपया की भूमि का अकृषकीय घोषित कराना चाहती है। उक्त आराजी भाग में किसी प्रकार का कोई कृषि कार्य, मत्स्य पालन, कुटकुट पालन व पशुपालन इत्यादि कार्य नहीं किया जा रहा है। अन्त में उसने उक्त स्कूल के नाम अंकित भूमि को आवादी घोषित कर लगान मुक्त किये जाने की प्रार्थना की है प्रार्थीया द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र के आधार पर तहसीलदार खेरागढ़ से जॉच आख्या मांगी गयी, तहसीलदार खेरागढ़ ने राजस्व निरीक्षक से आख्या प्राप्त कर एवं नियम 135(1) ज0वि0अधि0 के तहत नियत प्रारूप पर विस्तृत आख्या दिनांक 16.04.2012 में लिखा है कि प्रश्नगत सम्पत्ति तेहरा तहसील खेरागढ़ जि0 आगरा के खाता संख्या 724 के गाटा संख्या 260ग रकवा 0.2990 हेक्टेयर लगानी 9.05 रुपया की संक्रमणीय भूमिधर काश्तकार मालिक काविज व स्वामिनी हूँ तथा प्रार्थीया की संस्था उपरोक्त भूमि 0.2990 हेक्टेयर पर कॉजेल संचालित है तथा बिल्डिंग बनायी जा रही हैं प्रार्थीया की उक्त संस्था को उक्त भूमि का बिना बजय लगान अदा करना पड़ रहा है इसलिए प्रार्थीया अपनी उपरोक्त भूमि 0.2990 हेक्टेयर लगानी 9.05 रुपया की भूमि का अकृषकीय घोषित कराना चाहती है। उक्त आराजी भाग में किसी प्रकार का कोई कृषि कार्य, मत्स्य पालन, कुटकुट पालन व पशुपालन इत्यादि कार्य नहीं किया जा रहा है। उक्त भूमि को धारा 143 के अन्तर्गत आवादी घोषित किये जाने हेतु संस्तुति की है, वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। वादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया व मैंने पत्रावली का सम्यक परीक्षण किया, मौजा तेहरा तहसील खेरागढ़ जि0 आगरा के खाता संख्या 724 के गाटा संख्या 260ग रकवा 0.2990 हेक्टेयर लगानी 9.05 रुपया कृषि कार्य के



मंजू गुप्ता

प्रयोग में जही आ रही है। उक्त गाटा संख्याओं में वर्णित उक्त भूमि में मत्स्य पालन एवं  
कुप्राट पालन के प्रयोग में नहीं लाया जा रहा है। को अकृषिक घोषित किये जाने योग्य हैं।

### आदेश

अतः आदेश हुआ कि मौजा तेहरा तहसील खेरागढ जिरा आगरा के खाता संख्या 724  
संख्या 260ग रकमा 0.2990 हेक्टैयर लगानी 9.05 रुपया पर स्वराज कॉलेज ऑफ  
जूल ब्लारा श्रीमती मंजु गुप्ता पत्नी बी0क्के0 गुप्ता सचिव शान्ति निकेतन चैरिटे बिल  
ल पर सासायटी पंजी0 कार्यालय 2/363ए नामनेर आगरा को धारा उ0प्र0 ज0वि0अ0  
950 गी धोरा 143 के अन्तर्गत तहसीलदार खेरागढ की आख्या दिनांक 16.04.2012 के  
दार खेरागढ व उपनिवधक खेरागढ को भेजी जाए प्राख्यापन जारी हो। वाद  
पर अकृषिक घोषित कर भू-राजस्व से मुक्त किया जाता है आदेश की एक प्रति  
दार खेरागढ व उपनिवधक खेरागढ को भेजी जाए प्राख्यापन जारी हो। वाद  
कार्यवाही इस न्यायालय की पत्रावली दाखिल दफतर हो।



अपजिलाधिकारी खेरागढ,  
आगरा।

TRUE COPY

28/4/12

28/4/12

प्रति का नाम की जाती है।  
प्रति की तिथि 27/4/12

प्रति तेहरा रोड की स्थिति 28/4/12


प्रति की संख्या 496 रुपये

प्रति की रुपये 7200

प्रति की रुपये 1000

प्रति की रुपये 2000

मंजु गुप्ता



16